भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones : 0129-2292173, 2292175
Fax: 0129-2291860
E-Mail: frbo@bis.gov.in
web : http://www.bis.gov.in

PRESS RELEASE

22 July 2016

BIS Raids Jeweller selling hallmarked jewellery without BIS licence at Bhiwani

Based on the information received, officers of Bureau of Indian Standards (BIS), Faridabad Branch Office conducted a raid on 21 July 2016 at the premises of jewellery outlet, M/s Hare Rama Hare Krishna Jewellers, Bichla Bazar, Bhiwani, Haryana with the help of Haryana Police from City Police Station, Bhiwani as directed by Head, Shri Sunil Kumar, Sc.F of the Faridabad Branch Office of BIS. The name of the owner of jewellery outlet is Shri Virender Kumar. The jeweller was found misusing BIS hallmark on Gold jewellery and selling from his outlet. The above raid was conducted by a team led by Shri P.K. Gupta, Sc.C. The other team members were Smt. Neha Yadav, Sc. C, Shri Sahil Bhatia, Sc. B, Shri Tapan Haldar, Sc.B alongwith the officers of Haryana police from Bhiwani City Police Station, Bhiwani.

During the raid, large number of hallmarked jewellery was found available and being sold from their outlet by M/s Hare Rama Hare Krishna Jewellers, Bhiwani by using BIS hallmark Logo without BIS Hallmark licence. At the time of raid, hallmarked gold bangles have been found available at the jewellery outlet. The jeweller was selling hallmarked jewellery without hallmark licence from BIS which is illegal. The action is being initiated against the owner of M/s Hare Rama Hare Krishna Jewellers, Bhiwani, Haryana under BIS Act, 1986. The penalty for this type of offence is one year imprisonment or Rs. 50,000/- or both as per provisions of the Act.

It is informed by the BIS spokesperson that the action shall be taken against the jewellers who are using BIS hallmark on the jewellery without BIS hallmark licence. Other jewellers who are misusing BIS Hallmark shall also be raided in near future. It is appealed to the general public to give information regarding any misuse of hallmark if noticed at the following address:

Shri A.K. Popli,
Scientist C & P.G.O.,
Bureau of Indian Standards,
SCO 21, Sector 12,
Faridabad – 121007
Phone: 0129-2292173, 0129-2292175

22072016
(Sunil Kumar)
Scientist F & Head

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Faridabad Branch Office

Address : SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones :0129-2292173, 2292175
Fax: 0129-2291860
E-Mail: frbo@bis.org.in
web : http://www.bis.org.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 22 जुलाई 2016

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भिवानी में बिना बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के हालमार्क लगाकर बेचने वाले ज्वैलर पर छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर, भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद के प्रमुख श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक एफ के आदेशानुसार भिवानी शहर के पुलिस स्टेशन, हरियाणा के सहयोग से बी आई एस हालमार्क के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2016 को आभूषणों की दुकान, मै0 हरे रामा हरे कृष्णा जवेलर्स, बिचला बाज़ार, भिवानी, हरियाणा के परिसर पर छापा मारा । फर्म के मालिक का नाम श्री वीरेंदर कुमार हैं । ज्वैलर हाल मार्क लगी ज्वेलरी को बिना बी०आई०एस० लाइसेंस के बेचता हुआ पाया गया । भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व श्री पी०के० गुप्ता, वैज्ञानिक सी ने किया । टीम में अन्य सदस्य श्रीमती नेहा यादव, वैज्ञानिक सी, श्री साहिल भाटिया, वैज्ञानिक बी, श्री तपन कुमार हलदार, वैज्ञानिक बी और भिवानी शहर के पुलिस स्टेशन, हरियाणा के अधिकारी शामिल थे ।

छापे के दौरान, हॉलमार्क लगी ज्वैलरी दुकान में पाई गई और मै0 हरे रामा हरे कृष्णा जवेलर्स बिना बी०आई०एस० लाइसेंस के बी०आई०एस० हालमार्क लगे आभूषण बेच रहा था जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । छापे के समय बी०आई०एस० हॉलमार्क लगे हाथ में पहनने वाले स्वर्ण के कड़े दुकान पर बेचे जाते पाये गये । इस फर्म व इसके मालिक के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा एक वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000/- रूपये या दोनों जुर्माने का बी०आई०एस० एक्ट, 1986 में प्रावधान है ।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के बिना हाल मार्क लगाने वाले ज्वेलर्स के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी । इस तरह से बिना बी०आई०एस० लाइसेंस का दुरूपयोग करने वालों पर भी निकट भविष्य में छापा मारे जाने की योजना है । आम जनता से अपील है कि हालमार्क के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (यदि उनकी जानकारी में आती है) निम्नलिखित पते पर दें ।

श्री ए0 के0 पोपली,
वैज्ञानिक सी एवं पी0 जी0 ओ0,
भारतीय मानक ब्यूरो, एस0 सी ओ0 21, सैक्टर 12,
फरीदाबाद – 121007
दूरभाष: 0129-2292173, 0129-2292175

सुनील कुमार 22.7.2016
(सुनील कुमार)
वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख

शेरे हरियाणा शनिवार, 23 जुलाई 2016

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भिवानी में बिना बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के हालमार्क लगाकर बेचने वाले ज्वैल्लर पर छापा

फरीदाबाद। भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने सूचना के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद के प्रमुख श्री सुनील कुमार, वैज्ञानिक एफ के आदेशानुसार भिवानी शहर के पुलिस स्टेशन, हरियाणा के सहयोग से बी आई एस हालमार्क के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2016 को आभूषणों की दुकानए मै0 हरे रामा हरे कृष्णा जवेलर्सए बिचला बाजार, भिवानी, हरियाणा के परिसर पर छापा मारा । फर्म के मालिक का नाम श्री वीरेंदर कुमार है । ज्वैज़लर हाल मार्क लगी ज्वे लरी को बिना बी0आई0एस0 लाइसेंस के बेचता हुआ पाया गया । भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व श्री पी0के0 गुसाए वैज्ञानिक सी ने किया । टीम में अन्यत सदस्य। श्रीमती नेहा यादव वैज्ञानिक सीए श्री साहिल भाटिया वैज्ञानिक बीए श्री तपन कुमार हलदार वैज्ञानिक बी और भिवानी शहर के पुलिस स्टेशन हरियाणा के अधिकारी शामिल थे । छापे के दौरान हॉलमार्क लगी ज्वैलरी दुकान में पाई गई और मै0 हरे रामा हरे कृष्णा जवेलर्स बिना बी0आई0एस0 लाइसेंस के बी0आई0एस0 हालमार्क लगे आभूषण बेच रहा था जो कि भारतीय मानक ब्यौरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । छापे के समय बी0आई0एस0 हॉलमार्क लगे हाथ में पहनने वाले स्वार्ण के क? दुकान पर बेचे जाते पाये गये । इस फर्म व इसके मालिक के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यू रो अधिनियमए 1986 के अन्तरर्गत कार्यबाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा एक वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000 रूपये या दोनों जुर्माने का बी0आई0एस0 एक्टए 1986 में प्रावधान है । भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के बिना हाल मार्क लगाने वाले ज्वेनलर्स के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ।

नवभारत टाइम्स, फरीदाबाद, शनिवार, 23 जुलाई 2016

नकली हॉलमार्क की जूलरी मिली

■ **एनबीटी न्यूज, सेक्टर-12 :** भारतीय मानक ब्यूरो की टीम ने भिवानी में एक जूलरी शॉप पर छापेमारी कर नकली हॉलमार्क जूलरी बरामद की। जिला भारतीय मानक ब्यूरो प्रमुख सुनील कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर बीआईएस की एक टीम बनाई गई। टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक सीके पीके गुप्ता ने किया। टीम ने छापेमारी की तो जूलर बिना बीआईएस लाइसेंस के बीआईएस हॉलमार्क लगे आभूषण बेचता मिला। इस केस में 50 हजार रुपये का जुर्माना या एक साल की सजा या दोनों होने का प्रावधान है।

दैनिक भास्कर, फरीदाबाद शनिवार 23 जुलाई, 2016

न्यूज ब्रीफ

बीआईएस हॉलमार्क का दुरुपयोग करते पकड़ा

फरीदाबाद | बीआईएस हॉलमार्क का दुरुपयोग करने की शिकायत पर भारतीय मानक ब्यूरो फरीदाबाद की टीम ने भिवानी स्थित हरे रामा हरे कृष्णा ज्वैलर्स पर छापा मारा। ज्वैलर हॉलमार्क लगी ज्वैलरी को बिना बीआईएस लाइसेंस के बेचता हुआ पाया गया। टीम ने छापा मारकर दुकानदार को पकड़ लिया। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व वैज्ञानिक पीके गुप्ता ने किया। उन्होंने सूचना के आधार पर फरीदाबाद शाखा प्रमुख सुनील कुमार, नेहा यादव, साहिल भाटिया, तपन कुमार व भिवानी पुलिस के सहयोग से छापा मारा। छापे के दौरान हॉलमार्क लगी ज्वैलरी दुकान में पाई गई। दुकानदार बिना लाइसेंस के बीआईएस हॉलमार्क लगे आभूषण बेच रहा था। छापे के समय बीआईएस हॉलमार्क लगे सोने के कड़े भी पकड़े गए। इस फर्म के मालिक के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह के अपराध की सजा एक वर्ष तक कारावास व पचास हजार जुर्माना या दोनों है।